

कार्यालय ग्राम पंचायत-

लौहीहा

निकास स्पष्ट

जरूरी जाइ

जनपद-

लौहीहा

प्रातः

दिनांक 23/05/23

प्रातः

**विषय:-** जल जीवन मिशन (झर धर घाल) के अन्तर्गत शुद्ध पेयजल हेतु पानी की उन्नीकरण, संचालन व अनुरक्षण के सम्बन्ध में।

प्रतीक्षा

अवगत कोराना है कि दिनांक 23/05/23 को प्रातः 10:00 बजे से पंचायत भवन परिसर में ग्राम पंचायत में निवास करने वाले प्रत्येक परिवारों को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हेतु खुली बैठक की गयी। बैठक में ग्राम पंचायत के सभी वार्ड सदस्य, लेखपाल, पार्षदिक/जूँडाईस्कूल के प्रधानाधार्य, अध्यापक, शिक्षामित्र, ऑगनवार्डी कार्यकर्ता/गवायिका, कोर्टदार, ५०एन०एम० एवं आशा द्वारा प्रतिभाग किया गया।

उक्त बैठक में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं हेतु दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में विस्तृत विधार-विमर्श किया गया। दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत में निवास करने वाले प्रत्येक परिवारों से परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अंशदान किए जाने तथा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु निर्धारित यूजर धार्ज जमा किए जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है। ग्राम पंचायत के लगभग प्रतिशत परिवारों द्वारा निर्धारित लागत अंशदान एवं यूजर धार्ज जमा करने की सहमति दी गयी है। परिवार के गुणिया द्वारा यी गयी सहमति पव्र सम्मान है।

जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत पाइप पेयजल योजना के क्रियान्वयन तथा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु सहमति है।

अतः अनुसूचि है कि कृपया यथार्थी ग्राम पंचायत में पाइप पेयजल योजना का नियंत्रण करने हेतु आवश्यक कार्यालयी कराने का कृप्त चाहे।

संलग्नक: परिवारों द्वारा ऐस्ताक्षरित राखिया पत्र।

लिखि  
M.P. Singh  
(Director)  
Susima Foundation  
Varanasi (U.P.)

ग्राम पंचायत-लौहीहा  
ग्राम भवदारग-लौहीहा  
विवास द्वारा-लौहीहा  
जनपद-गाजीपुर (उत्तर)

ग्राम विकास अधिकारी Susima Foundation  
ग्राम पंचायत-लौहीहा  
विवास द्वारा-लौहीहा  
जनपद-गाजीपुर

ग्राम प्रधान

सहायक विकास अधिकारी (पं०)  
जखनिया, गाजीपुर।

## ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी.)

जल संबंधी उन सभी गतिविधियों की पहचान करना जो ग्राम समुदाय की 'जीवन सुगमता' को बेहतर बनाने में मदद करती है। (ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा तैयार की जानी हैं और डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने से पहले ग्राम सभा में अनुमोदित की जानी हैं। आई.एस.ए. द्वारा मार्गदर्शन सहायता प्रदान की जानी है)

1. तैयारी की तारीख: 23/05/23

ग्राम सभा में अनुमोदन की तारीख: 11/07/23

डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने की तारीख:

2. ग्राम का नाम: भद्राल

ग्राम पंचायत का नाम: भद्राल

बलौक का नाम: झेरकौरी

जिला का नाम: गाजीपुर

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश

ग्राम जनगणना कोड:

(यदि लागू हो तो, वस्तियों की संख्या और उनके नाम)

### I. ग्राम पंचायत संकल्प

3. ग्राम समुदाय की आकांक्षा : ..... (संख्या) मवेशी कुंडों को और छह (संख्या) कपड़े धोने/स्नान करने के स्थानों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित आधार पर अर्थात् ..... घन्टे निर्धारित गुणवत्ता + वाले..... एल.पी.सी.डी. जल की आपूर्ति वर्ष 2.4 तक ..... ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध कराने के लिए एफ.एच.टी.सी., प्रदान करना।

हम, ग्राम समुदाय के लोग, अपनी अंतःग्राम जल आपूर्ति अवसंरचना के अपनत्व, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकायों का सम्मान करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें संदूषित नहीं करेंगे। हम अपने गंदले जल की व्यवस्था करेंगे और अपने मीठे पानी को बचाएंगे।

यह संकल्प लिया जाता है कि पूँजी लागत का 10%, प्रचालन और रख-रखाव लागत के परिणामित हिस्से का भुगतान विद्या जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में योगदान किया जाएगा।

\* पानी की गुणवत्ता का प्रमाण पर पी.एच.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।

### II. ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण

4. कौन सी समिति गांव में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव का नेतृत्व करेगी?

(ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति):

समिति को क्या कहा जाता है: भूमि संवरक्ति समिक्षा

अध्यक्ष का नाम: द्राम । भैषजन

लिंग: पुरुष

आयु:

M.P. Singh  
(Director)  
Suchma Foundation  
Varanasi(U.P.)

## III. सामान्य विवरण

6. वर्तमान वर्ष:

२०१५
२०१४
२०१३
२०१२
२०११


२०१५
२०१४
२०१३
२०१२
२०११

7. जनसंख्या अनुमान:

मध्यवर्ती घरण - वर्तमान से 15 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 18% वृद्धि): ३१२१ किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.) अंतिम घरण  
-वर्तमान से 30 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 32% वृद्धि): ५६ किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.)

8. वर्तमान मरेशी संख्या (पशुपालन रिकॉर्ड): २०७०

9. कृषि फसल पैटर्न: \_\_\_\_\_

10. औसत जिला वर्षा (मि.मी. मी.): १८० २१ १८५11. स्थलाकृति (समतल, ढालन, आदि): ५५%

## IV. स्थिति विवरण

12. क्या संसाधन मानचित्रण किया गया है? (हाँ / नहीं) हाँ  
(‘ग्राम कार्य योजना’ के साथ मानचित्र संलग्न करें)13. क्या सामाजिक मानचित्रण किया गया है? (हाँ / नहीं) हाँ  
(‘ग्राम कार्य योजना’ के साथ मानचित्र संलग्न करें) EI

14.

अंगनबाड़ी	पर्यावरण विभाग	पर्यावरण विभाग	पर्यावरण विभाग	पर्यावरण विभाग
पर्यावरण विभाग				
पर्यावरण विभाग				

शानी की कृत दैनिक आदरशकता

15. पानी की वर्तमान आवश्यकता - जनसंख्या<sup>1</sup> X दर: 44.34 के.एल.डी.  
मधेशियों के लिए पानी की वर्तमान आवश्यकता: 50.11 के.एल.डी.  
मधेशी कंडों की आवश्यक संख्या: 2  
मध्यवर्ती घरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या<sup>1</sup> X दर: 3121 के.एल.डी.  
अंतिम घरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या<sup>1</sup> X दर: 46 के.एल.डी.

पानी की आपूर्ति का इतिवृत्त

16. गाँव में पानी की आपूर्ति/उपलब्धता का इतिवृत्त, सूखा/अकाल/वर्षावाहन/बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा का पैटर्न,  
पानी की उपलब्धता की सामान्य प्रवृत्ति:

17. आपातकालीन व्यवस्था का कोई इतिवृत्त जैसे टंकिये, रेत गाड़ियाँ आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति: नहीं

18. पानी की आपूर्ति से संबंधित अंशिक कार्य, स्रोत को मजबूत करने का इतिवृत्त नहीं

19. जल जनित रोगों का इतिवृत्त: है, मलार्ना, पेट दर्द,

पानी की गुणवत्ता

20. फील्ड परीक्षण किट / चायत का उपयोग करके समुदाय के साथ जल गुणवत्ता की चौकसी के लिए अभिनिर्धारित तारीख: \_\_\_\_\_

21. संनिट्री निरीक्षण के लिए अभिनिर्धारित तारीख: \_\_\_\_\_

22. जल आपूर्ति योजना में इस्तेमाल किए जाने वाले मौजूदा/प्रस्तावित पेयजल स्रोत (स्रोतों) के पानी की गुणवत्ता: स्रोत  
का नाम (अवस्थाति): \_\_\_\_\_

कमड़े पीने / स्नान करने का व्याह

23. यह संभावना है कि गाँव के कुछ गरीब इलाकों में कपड़े धोने के लिए और/या नस्त कनेक्शन के लिए पर्याप्त जगह न हो। ऐसे अभिनिर्धारित स्थानों की संख्या, जिनमें कपड़े धोने/स्थान करने के स्थान उपलब्ध कराए जाने हैं:



## स्रोत स्थापित्व

24. भू-जल स्रोत के मामले में, क्या बोरवेल रिचार्ज संरचना है? (हैं/नहीं) ✓  
 25. गाँव में उन मौजूदा जल भंडारों की सूची जिनका कार्याकल्प/मरम्मत कार्य किया जाना आवश्यक है: १०५५८५  
 गंदला जल का प्रबंधन

26. उत्पन्न गंदला जल (जल आपूर्ति का 65%): \_\_\_\_\_ के.एल.डी.

अलग-अलग स्रोतों गढ़ों वाले परिवारों की संख्या: ५

उन परिवारों की संख्या जिन्हें स्रोतों गढ़ों की आवश्यकता है: १०

आवश्यक सामुदायिक स्रोतों गढ़ों की संख्या: ३

क्या अपरिषट तलछट तालाब की आवश्यकता है? (हैं/नहीं): १०

यदि हाँ, तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिर्धारित किया गया है: अभी नहीं

यदि नहीं, तो गंदला जल प्रबंधन के बाइन से अन्य उपायों को अपनाया जाना चाहिए?

## V. जल आपूर्ति योजना

27. निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत एफ.एच.टी.सी. प्रदान किए जाएंगे:

- अंतिम और तक पहुँच के लिए पूर्ववर्ती एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के तहत शुरू की गई योजनाओं की रेट्रोफिटिंग
- पूर्ण हो चुके आर.डब्ल्यू.एस. की रेट्रोफिटिंग ताकि इसे जे.जे.एम. के अनुकूल बनाया जा सके
- निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जलस्थिरण वाटर/स्थानीय या धरातली जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
- शोधन की आवश्यकता वाले किन्तु पर्याप्त भू-जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
- वाटर ग्रिड/सेवीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एम.वी.एस.
- मिनी सौर ऊर्जा आधारित पी.डब्ल्यू.एस. जो एकान्त/आदिवासी बस्तियों में स्थित है

28. अभिनिर्धारित जल स्रोत: \_\_\_\_\_ तकनीकी-आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन के आधार पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना: \_\_\_\_\_

इस योजना के लिए अभिनिर्धारित भूमि: \_\_\_\_\_

वह तारीख, जिस पर यह भूमि पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग को संपि दी जाएगी: \_\_\_\_\_

योजना की लागत: \_\_\_\_\_ भारत सरकार का हिस्सा: \_\_\_\_\_ राज्य का हिस्सा: \_\_\_\_\_

समुदाय का हिस्सा: \_\_\_\_\_ व्यक्तिगत घरेलू अंशदान: \_\_\_\_\_

वार्षिक प्रचालन व रख-खाल शुल्क: \_\_\_\_\_ व्यक्तिगत घरेलू मासिक जल शुल्क: \_\_\_\_\_

प्रयोक्ता शुल्क: \_\_\_\_\_ कोई दूसरा बसावट हो तो, अभिनिर्धारित पी.डब्ल्यू.एस.: \_\_\_\_\_

## VI. मेत-जोल

(निम्नलिखित तालिका में उन संभावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि/निधि मेत-जोल संभव है। याम समुदाय द्वारा याम की आवश्यकताओं के अनुसार अभिनिर्धारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।)

निम्नलिखित तालिका में उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि/निधि मेत-जोल संभव है। याम समुदाय द्वारा याम की आवश्यकताओं के अनुसार अभिनिर्धारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।	प्रस्तावित योजना का वर्णन	प्रस्तावित योजना का वर्णन	प्रस्तावित योजना का वर्णन
प्रस्तावित योजना का वर्णन	प्रस्तावित योजना का वर्णन	प्रस्तावित योजना का वर्णन	प्रस्तावित योजना का वर्णन
प्रस्तावित योजना का वर्णन	प्रस्तावित योजना का वर्णन	प्रस्तावित योजना का वर्णन	प्रस्तावित योजना का वर्णन
प्रस्तावित योजना का वर्णन	प्रस्तावित योजना का वर्णन	प्रस्तावित योजना का वर्णन	प्रस्तावित योजना का वर्णन
प्रस्तावित योजना का वर्णन	प्रस्तावित योजना का वर्णन	प्रस्तावित योजना का वर्णन	प्रस्तावित योजना का वर्णन



योजना का नाम	केन्द्र/राज्य सरकार का विभाग	संभावित गतिविधियाँ जो शुरू की जा सकती हैं	प्रस्तावित निधि
एकीकृत बाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)	भूमि संसाधन विभाग	बाटरशेड प्रबंधन/ आर.डब्ल्यू.एच./ कृतिम पुनर्जनन, जल निकायों का निर्माण/ वृद्धि आदि।	
जल भंडारों की मरम्मत, नदीनीकरण और जीर्णोद्धार	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	बड़े जल भंडारों का जीर्णोद्धार	
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.टी.वाई.)	कृषि, सहकारिता और विकास कल्याण	बाटरशेड से संबंधित कार्य	
प्रधानमंत्री कृषि सिवाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कृषि, सहकारिता और विकास कल्याण मंत्रालय	जल की अधिक खपत वाली विजिन्न फसलों के लिए सूखन-सिंचाई का प्रबोधन, एकलीकरण से जल की निकासी को कम करने के लिए	
क्षतिपूरक तनीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण	पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	वनीकरण, वन पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्जनन, बॉटरशेड विकास, आदि।	
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	आर.डब्ल्यू.एस. योजनाओं के लिए आवश्यक मानव संसाधनों के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि	
समय शिक्षा	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	स्कूलों में प्रेयजल आपूर्ति का प्रबोधन	
आकांक्षी जिला कार्यक्रम	नीति आयोग	जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध विवेकाधीन निधियों के तहत जल संरक्षण गतिविधियाँ	
जिला खनिज विकास निधि (टी.एम.ए.फ)	राज्य	बड़े पैमाने पर जल संरक्षण गतिविधियाँ	
एम.पी.एल.ए.डी.	संघियकी और कार्यक्रम कार्यालयन मंत्रालय (एमओएसपीआई)	अंतःशाम अवसरणा	
एम.एल.ए.एल.ए.डी.	राज्य	अंतःशाम अवसरणा	
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान/जनजातीय उप योजना (टी.एस.एस.)	जनजातीय मामलों का मंत्रालय और राज्य	अंतःशाम अवसरणा	
दानदाता/प्रायोजक			

अध्यक्ष का हस्ताक्षर: रामार्जुन

पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

आई.एस.ए. प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर (यदि लागू हो): \_\_\_\_\_

### संपर्क विवरण

ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, आदि का अध्यक्षः  
पंचायत सचिव का नाम और फोन नंबर:

जमीनी तकनीशियन का नाम और फोन नंबर:

पानी की गुणवत्ता की घौंकसी सुनिश्चित करने के लिए पांच महिलाओं के नाम और फोन नंबर:

1. रामी पाठव — मनोज पाठव — 8544104114

2. प्राप्ता

3. सनाता

4. जाविता

5. रुठनीता

पंप ऑपरेटर का नाम और फोन नंबर:

  
**M.P. Singh**  
(Director)  
Sushma Foundation  
Muznaski(U.P.)

ग्राम विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत.....  
विंद्रो-जखनियाँ, गाजीपुर